

विनियोग संख्या 74 - संघ लोक सेवा आयोग
APPROPRIATION No. 74-UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	48,99,00		
पूरक	Supplementary	77,00		
			49,76,00	49,17,12
				-58,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			31,40

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. विनियोग में, कुल बचतें (58.88 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 77.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 76 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the appropriation, the overall savings (Rs.58.88 lakhs) constituted 76 percent of the supplementary appropriation of Rs.77.00 lakhs obtained in February, 2004 and 1 percent of the total sanctioned appropriation.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"			
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission			
मू.	O.	4899.00		
पू.	S.	77.00		
पु.	R.	-31.40		
			4944.60	4917.12
				-27.48

(I) पूरक विनियोग 'संघ लोक सेवा आयोग' के अंतर्गत पूर्णतया/प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा-

(I) Supplementary appropriation remained unutilised wholly/to the extent as shown against each under "Union Public Service Commission"-

(का) "परीक्षाओं और चयन पर व्यय"- 1796.65 लाख रु. के मूल विनियोग को 11.35 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 1808.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि,

(A) "Expenditure on Examinations and Selection"-the original appropriation of Rs.1796.65 lakhs was augmented to Rs.1808.00

47.81 लाख रु. की बचत (पूरक विनियोग सहित) वैयक्तिक बातचीत/साक्षात्कार बोर्डों के कम संख्या में होने और उम्मीदवारों एवं पर्यवेक्षकों को अदायगी पर कम खर्च किए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रशासनिक व्यय"- 3072.35 लाख रु. के मूल विनियोग को 65.65 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 3138.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो वर्ष के दौरान कम संख्या में प्रकाशन होने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्य किए जाने में असमर्थता दर्शाए जाने के कारण 7.27 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

2. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क के रूप में वर्ष के दौरान 32.09 लाख रु. की राशि वसूल की गई जिसे व्यय की कमी के रूप में नहीं लिया जाना था और इसे भारत की समेकित निधि में प्राप्ति के रूप में लिया गया था।

laks by obtaining supplementary appropriation of Rs.11.35 laks. However, there was a saving of Rs.47.81 laks (including supplementary appropriation)-due to less number of Personal Talk/Interview Boards and less expenditure on payment to candidates and supervisors.

(B) "Administrative Expenditure"-the original appropriation of Rs.3072.35 laks was augmented to Rs.3138.00 laks by obtaining supplementary appropriation of Rs.65.65 laks which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.27 laks-due to less number of publications and inability shown by the Central Public Works Department to take up the minor works during the year.

2. An amount of Rs.32.09 laks was realised during the year as fees for examination conducted by the Commission which was not to be taken as reduction of expenditure and was taken as receipt in the Consolidated Fund of India.